रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241448 CG-DL-E-27122022-241448

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] No. 322] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/ PAUSA 6, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

> (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

सं. 45 / 2015—2020

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के परिशिष्ट 2फ (निर्यात संवर्धन परिषदों / पण्य बोर्ड्स / निर्यात विकास प्राधिकारियों की सूची) में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/55/एएम—21/पीसी—II(ख) ई—26250.—विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के परिशिष्ट 2फ (निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्ड्स/निर्यात विकास प्राधिकारियों की सूची) में क्र. सं. 10 पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

परिशिष्ट 2फ	निर्यात संवर्धन परिशदों /		उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों
में क्र. सं.	पण्य बोर्ड्स का नाम	उत्पादों का मौजूदा विवरण	का संशोधित विवरण
	ईओयू और एसईज़ेड		ईपीसोईएस के क्षेत्राधिकार में आने वाले
10	(ईपीसीईएस) हेतु निर्यात	उत्पादों का विवरणः	उत्पादों का विवरणः
	संवर्धन परिषद्	मसालों के मामले को छोड़कर ईओयू	(i) मसालों को छोड़कर ईओयू द्वारा सभी
		द्वारा सभी उत्पाद। मसालों के मामले	उत्पाद और सेवाएं। मसालों के मसालों के
			मामले में, इकाईयों को मसाला बोर्ड के साथ
		स्वयं को पंजीकृत करना भी अनिवार्य	स्वयं को पंजीकृत करना भी अनिवार्य होगा।
		होगा।	(ii) एसईज़ेडस द्वारा सभी उत्पाद आर
			सेवाएं।

8681 GI/2022 (1)

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

ईओयू और एसईज़ेड (ईपीसीईएस) हेतु निर्यात संवर्धन परिषद् के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले उत्पादों का विवरण विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के परिशिष्ट 2फ में तत्काल प्रभाव से अद्यतन किया गया है।

> संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th of December, 2022

No. 45/2015-2020

Subject: Amendment in Appendix 2T (List of Export Promotion Councils/Commodity Boards/ Export Development Authorities) of Foreign Trade Policy 2015-2020.

F. No. 01/93/180/55/AM-21/PC.II(B)/E-26250.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy(FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments at Sl. No. 10 in Appendix 2T (List of Export Promotion Councils/Commodity Boards/Export Development Authorities) of the FTP 2015-2020:

S. No. in Appendix 2T	Name of Export Promotion Councils/ Commodity Boards	Existing Details of products falling with their jurisdiction	Revised Details of products falling with their jurisdiction
10.	Export Promotion Council for EOU and SEZ (EPCES)	of spices. In case of spices, it would be mandatory for units to get	Details of products falling with jurisdiction of EPCES: (i) All products and services by EOU except spices. In case of spices, it would be mandatory for units to get themselves registered with Spices Board. (ii) All products and services by SEZs

2. Effect of this Public Notice:

Details of products falling under the jurisdiction of the Export Promotion Council for EOU and SEZ (EPCES) has been updated in Appendix 2T of FTP 2015-2020, with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.